

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District**
(जिला): ACB DISTRICT **P.S.**
(थाना): C.P.S Jaipur **Year**
(वर्ष): 2026
2. **FIR No.**
(प्र.सू.रि.सं): 0234 **Date and Time of FIR**
(एफआईआर की तिथि/समय): 20/08/2026 16:00 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From**
(दिनांक से): 11/06/2026 **Date To**
(दिनांक तक): 12/06/2026
- Time Period**
(समय अवधि): पहर **Time From**
(समय से): 08:47 बजे **Time To**
(समय तक): 14:00 बजे
- (b) **Information received at P.S.**
(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): **Date**
(दिनांक): 20/08/2026 **Time**
(समय): 15:00 बजे
- (c) **General Diary Reference**
(रोजनामचा संदर्भ) : **Entry No.**
(प्रविष्टि सं.): 001 **Date & Time**
(दिनांक एवं समय) 20/08/2026 16:00:26 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
1. (a) **Direction and distance from P.S.**
(थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-WEST, 105 किमी **Beat No.**
(बीट सं.): NOT APPLICABLE
- (b) **Address(पता):** PATWAR KARAYALY,PATWAR HALKA DANTIWAS, TEHASIL BHINMAL JILA JALORE
- (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then**
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
- Name of P.S**
(थाना का नाम): **District(State)**
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): VAGARAM
(b) Father's Name (पिता का नाम): SANVALARAM

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1995 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DANTIWAS, BHINMAL, JALORE, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DANTIWAS, BHINMAL, JALORE, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	LALITA VISHONI		पिता:JAISARAM	1. MU. POST SARNAU VAYA RANIWARA,SANCHAU,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	10000 रुपये रिश्वत की मांग करना	10,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 10,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर जिला जालोर। विषय:- रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथो पकडवाने बाबत। महोदय सविनेय निवेदन है कि मैं प्रार्थी वागाराम पुत्र सांवलाराम उम्र 31 साल जाति भील निवासी दांतीवास, पुलिस थाना भीनमान जिला जालोर (राज.) का रहने वाला हूँ। मेरे दादा श्री धूकाराम का 27.12.2025 देहान्त हो चुका था जिनकी मृत्यु पश्चात मेरे पिताजी व अन्य वारिसो का कृषि भूमि का म्यूटेशन दर्ज करवाना था जिनका म्यूटेशन दर्ज करवाने के लिए म्यूटेशन से संबंधित दस्तावेज(कागज) लेकर मे दांतीवास पटवार हल्का पटवारी श्रीमती ललिता के पास जाकर म्यूटेशन दर्ज करवाने हेतु निवेदन कि तो श्रीमती ललिता पटवारी ने मेरे उपयुक्त काम के लिए 10000 रुपये देने पर म्यूटेशन भरने का कहा एवं उक्त म्यूटेशन के लिए 10000 रुपये रिश्वत कि राशि कि मांग कि मे मेरे जायज सरकारी काम के लिए पटवारी श्रीमती ललिता को रिश्वत नही देना चाहता हू तथा पटवारी को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ मेरे तथा पटवारी श्रीमती ललिता पटवारी के मध्य कोई रंजिश वगैरा नही तथा नही कोई रूपयो पैसो का लेन देन बकाया है। रिपोर्ट पैच करता हू कानूनी करवाई करावे भवदीय वागाराम, वागाराम पुत्र सांवलारामजी जाति भील निवासी दांतीवास पुलिस थाना भीनमाल जिला जालोर दिनांक 12.06.2026 कार्यवाही पुलिस दिनांक 12.06.2026 समय:- 10.15 ए.एम. पर “ दर्ज रहे की परिवादी श्री वागाराम द्वारा दिनांक 11.06.2026 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज.जयपुर के हेल्पलाईन नंबर 1064 पर हल्का पटवारी दांतीवास श्रीमती ललिता द्वारा परिवादी के फौतगी म्यूटेशन/बुआ के हक तर्क नामे पर म्यूटेशन भरवाने के एवज मै रिश्वत राशि मांग करने से संबंधित शिकायत दर्ज करवाई गई थी। ब्यूरो मुख्यालय द्वारा मन् एएसपी के मोबाईल नंबर 9413377107 परिवादी श्री वागाराम को अग्रीम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाये गये थे तथा ब्यूरो मुख्यालय द्वारा उक्त शिकायत के संबंध में कार्यवाही करने हेतु मन् एएसपी ने परिवादी श्री वागाराम के मोबाईल नं. पर जरिये व्हाटसएप पर दिनांक 11.06.2026 को वार्ता की गई परिवादी श्री वागाराम ने बताया किमेरी दादीजी, मेरे पिताजी सांवलाराम तथा चार चाचा, एवं तीन बुआ का फौत म्यूटेशन भरवाने हेतु प्रार्थना- पत्र मय दस्तावेज श्रीमती ललिता पटवारी पटवार हल्का दांतीवास को पेश किये तब श्रीमती ललिता पटवारी ने उपरोक्त म्यूटेशन भरने की एवज मे मेरे से 10000/- रुपये रिश्वती राशि की मांग कर रही है आदि बताया। संदिग्ध आरोपीया श्रीमती ललिता पटवारी पटवार हल्का दांतीवास द्वारा अपने पदीय कर्तव्यो के विरुद्ध परिवादी श्री वागाराम से उसके जायज सरकारी कार्य के एवज मे रिश्वती राशि की मांग करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की श्रेणी मे आने से रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। परिवादी वागाराम को सूचित किया गया कि भ्रनिब्यूरो जालोर से श्री करणीदान कानि. 236 को भीनमाल भेज रहा हूँ, एवं कानि. के मोबाईल नं. से भी अवगत करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय हाजा मे उपस्थित श्री करणीदान कानि.236 को कार्यालय कक्ष मे तलब किया जाकर अलमारी मे रखा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड निकलवाया जाकर मैमोरी कार्ड को डीवीआर मे इन्स्टॉल कर मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर कानि. को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गई। समय:- 11.15 ए.एम. समय श्री करणीदान कानि. 236 को मय डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर भीनमाल पहुंचकर परिवादी श्री वागाराम को उसके मोबाईल नंबर पर संपर्क कर परिवादी श्री वागाराम से प्रार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड प्राप्त करने तथा संदिग्ध पटवारी से वार्ता कर वार्ता डीवीआर मे रिकॉर्ड कर लाने तथा रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवा कर लाने हेतु भीनमाल की तरफ रवाना किया गया। दिनांक 12.06.2026 समय 05.30पी.एम. पर श्री करणीदान कानि.236 गया हुआ उपस्थित चौकी हाजा आया डीवीआर मय इन्टॉल सुदा मैमोरी कार्ड स्वीच ऑफ हालात मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। श्री करणीदान कानि.236 ने बताया कि निर्देशानुसार भ्रनिब्यूरो जालोर से रवाना होकर भीनमाल पहुंचा। जहाँ परिवादी श्री वागाराम के मोबाईल नं. पर जरिये व्हाटसएप पर संपर्क किया तो परिवादी एलएमवी चौराहा भीनमाल पर उपस्थित आया परिवादी से संपर्क किया। परिवादी ने एक प्रार्थनापत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड प्रस्तुत किया प्रार्थना पत्र को बाद अवलोकन स्वंग के कब्जे लिया परिवादी श्री वागाराम ने बताया कि मेरे दादाजी श्री धूकाराम जी की दिनांक 27.12.2025 को देहान्त हो चुका है जिस पर मै मेरी दादीजी, मेरे पिताजी सांवलाराम तथा चार चाचा, एवं तीन बुआ का फौत म्यूटेशन भरवाने हेतु प्रार्थना- पत्र मय दस्तावेज श्रीमती ललिता पटवारी पटवार हल्का दांतीवास को पेश किये तब श्रीमती ललिता पटवारी ने उपरोक्त म्यूटेशन भरने की एवज मे

मेरे से 10000/- रुपये रिश्वती राशि की मांग कर रही है आदि बताया। जिस पर मन् कानि. ने परिवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय स्व प्रमाणित आधार कार्ड को जरिये व्हाट्सएप श्रीमान को प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् मन् कानि तथा परिवारी वागाराम के भीनमाल से रवाना होकर ग्राम दांतीवास पहुँचा जहाँ पटवार घर दांतीवास से कुछ दूरी पर रुके तथा परिवारी को डीवीआर मय इन्टॉलसुदा मैमोरी कार्ड को सुपुर्द कर डीवीआर चलाने की समझाईस की गई एवं मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात् परिवारी श्री वागाराम को डीवीआर मय इन्टॉलसुदा मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर संदिग्ध श्रीमती ललिता पटवारी पटवार हल्का दांतीवास से संपर्क कर वार्ता कर वार्ता रिकॉर्ड कर लाने की हिदायत कर पटवार घर दांतीवास के लिए रवाना किया गया। मन् कानि. अपनी पहचान छुपाते हुए ग्राम दांतीवास में ही परिवारी के पुन उपस्थित आने के इंतजार में व्यस्त रहा। करीबन 30-35 मिनट पश्चात् परिवारी श्री वागाराम पटवार घर दांतीवास से रवाना होकर मन् कानि. के पास उपस्थित आया। मन् कानि. ने परिवारी श्री वागाराम को पूर्व में सुपुर्दसुदा डीवीआर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर डीवीआर स्वीच ऑफ कर स्वयं के कब्जे लिया तत्पश्चात् गोपनीयता की दृष्टि से मन् कानि करणीदान तथा परिवारी श्री वागाराम ग्राम दांतीवास से रवाना होकर भीनमाल पहुँचे। परिवारी श्री वागाराम ने मन् कानि को बताया कि उसकी वार्तालाप श्रीमती ललिता पटवारी से उसके पटवार घर दांतीवास में होना तथा उपरोक्त फौतगी म्यूटेशन भरवाने की एवज में श्रीमती ललिता पटवारी ने 10,000/- रुपये रिश्वती राशि की मांग की है। रिश्वती राशि देने पर ही म्यूटेशन भरने हेतु कहाँ है। जिस पर मन् कानि ने स्वयं के मोबाईल से जरिये व्हाट्सएप श्रीमान से वार्ता कर हालात अर्ज किये। परिवारी श्री वागाराम ने दिनांक 13.06.2026 को शनिवार तथा दिनांक 14.06.2026 को रविवार होने से श्रीमती ललिता पटवारी पटवार घर दांतीवास में नहीं आयेगी तथा रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10000/- रुपये की व्यवस्था कर लेकर दिनांक 16.06.2026 को भ्रनिब्यूरो कानि जालोर में उपस्थित हो जाऊंगा। जिस पर श्रीमान से वार्ता कर परिवारी को गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर दिनांक 16.06.2026 को रिश्वती राशि लेकर उपस्थित चौकी हाजा आने की हिदायत कर रूकसत किया गया। मन् एसपी ने डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को ऑन कर सुना गया तो म्यूटेशन भरने की वार्ता प्राप्त रिकॉर्ड होना तथा रिश्वती राशि 10000/- रुपये की मांग करना आदि वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाया गया। जिस पर डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को ऑफ कर डीवीआर को स्वयं की अलमारी में सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखा गया। आईन्दा दिनांक 16.06.2025 को परिवारी के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 15.06.2026 को समय 08.15 पी.एम.पर परिवारी श्री वागाराम से श्री करणीदान कानि. के मोबाईल व्हाट्सएप से वार्ता की गई तो परिवारी श्री वागाराम ने रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10000/- रुपये की व्यवस्था होना तथा कल दिनांक 16.06.2026 को प्रात चौकी हाजा पर उपस्थित आने हेतु कहाँ जिस पर परिवारी को प्रकरण में गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर दिनांक 16.06.2026 को उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 16.06.2026 को समय 06.50 ए.एम. पर परिवारी श्री वागाराम को श्री करणीदान कानि. ने अपने व्हाट्सएप से कॉलिंग कर रिश्वती राशि लेकर उपस्थित चौकी हाजा आने हेतु वार्तालाप कि तो परिवारी वागाराम ने बताया कि उसने अपने स्तर पर मालूमात किया तो संदिग्ध श्रीमती ललिता पटवारी पटवार हल्का दांतीवास तीन दिन अवकाश पर जाना ज्ञात होना बताया, जिसपर परिवारी वागाराम को प्रकरण में गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर संदिग्ध श्रीमती ललिता पटवारी के पटवार घर दांतीवास में उपस्थित रहने की जानकारी प्राप्त कर मन् एसपी को सूचित कर भ्रनिब्यूरो जालोर उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 19.06.2026 समय 05.15 पी.एम.पर परिवारी श्री वागाराम कार्यालय हाजा में उपस्थित आया परिवारी श्री वागाराम ने मन् एसपी को बताया कि संदिग्ध श्रीमती ललिता पटवारी पटवार हल्का दांतीवास ने मेरे दादाजी के स्वर्गवास को लेकर फौत म्यूटेशन आज दिनांक 19.06.2026 को ग्राम सेवा शिविर में भरना तथा ग्राम पंचायत स्तर से म्यूटेशन शेष होना बताया। मन् एसपी ने परिवारी श्री वागाराम को पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में पूछताछ की तो परिवारी वागाराम ने रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिपी में लिखी होना रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा रिपोर्ट में लिखे समस्त तथ्य सही होना एवं उक्त रिपोर्ट मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड श्री करणीदान कानि.236 को दिनांक 12.06.2026 को भीनमाल में प्रस्तुत करना बताया। परिवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट निम्न प्रकार है। “सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर, विषय- रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथों पकड़वाने बाबत। महोदय, सविनेय निवेदन है कि मैं प्रार्थी वागाराम पुत्र सांवलाराम उम्र 31 वर्ष, जाति भील निवासी दांतीवास, पुलिस थाना भीनमाल, जिला जालोर का रहने वाला हूँ मेरे दादा श्री धुकाराम का 27.12.2025 को देहान्त हो चुका था। जिनकी मृत्यु पश्चात् मेरे पिताजी व अन्य वारिसों का कृषि भूमि का म्यूटेशन दर्ज करवाना था। जिनका म्यूटेशन दर्ज करवाने के लिए म्यूटेशन से संबंधित दस्तावेज (कागज) लेकर मैं दांतीवास पटवार हल्का पटवारी श्रीमती ललिता के पास जाकर म्यूटेशन दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया तो श्रीमती ललिता पटवारी ने मेरे उपयुक्त काम के लिए 10000/- रुपये देने पर म्यूटेशन भरने का कहा एवं उक्त म्यूटेशन के लिए 10000/- रुपये रिश्वत की राशि की मांग कि मैं मेरे जायज सरकारी काम के लिए पटवारी श्रीमती ललिता को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। तथा पटवारी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरे तथा पटवारी श्रीमती ललिता पटवारी के मध्य कोई रंजिश वगैरा नहीं तथा नहीं कोई रूपयों पैसों का लेने-देन बकाया है। रिपोर्ट पैच करता हूँ। कानूनी कार्यवाही करावें। दिनांक 12.06.2026 भवदीय सही(वागाराम) वागाराम पुत्र सांवलारामजी जाति भील निवासी

दांतीवास, पुलिस थाना भीनमाल, जिला जालोरा” तत्पश्चात कार्यालय हाजा के अलमारी में से डीवीआर मय मैमोरी कार्ड बाहर निकलवाया जाकर परिवादी के रूबरू सुना गया तथा परिवादी को सुनाया गया तो परिवादी ने डीवीआर में वार्तालाप में संदिग्ध श्रीमती ललिता पटवारी दांतीवास तथा स्वयं की वार्तालाप होना तथा फौत/हक तर्क नामा का म्यूटेशन भरने संबंधित वार्तालाप के दौरान परिवादी श्री वागाराम से आरोपी श्रीमती ललिता पटवारी पटवार हल्का दांतीवास द्वारा 10000/- रुपये रिश्वती राशि की मांग करना पाया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता लाप में की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट कता करने का निर्णय लिया गया। आईन्दा स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिती में फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की जावेगी। तत्पश्चात दिनांक 19.06.2026 समय 05.25 पी.एम.पर उपरोक्त कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यक होने से मन् मांगीलाल एएसपी के मोबाईल व्हाट्सएप के जरिये पीएमओ, जिला चिकित्सालय जालोरडॉ. वेद प्रकाश मीना के मोबाईल/व्हाट्सएप नं. पर वार्ता कर दो स्वतंत्र गवाहान भ्रनिब्यूरो जालोर उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया। तत्पश्चात समय 05.45 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री जितेन्द्र भाटी नर्सिंग ऑफिसर तथा यशवंत कुमार नर्सिंग ऑफिसर, जिला चिकित्सालय जालोर से कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। मन् मांगीलाल राठौड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो जालोर ने अपना परिचय देकर गवाहान को उपस्थित आने के मंतव्य से अवगत करवाया जाकर परिचय पूछा गया तो गवाहान ने परिचय क्रमशः श्री जितेन्द्र भाटी पुत्र श्री मदनलाल उम्र 45 वर्ष जाति हरिजन निवासी ग्राम हरजी पुलिस थाना आहोर, जिला जालोर हाल नर्सिंग ऑफिसर जिला चिकित्सालय जालोर मोबाईल नं. तथा श्री यशवंत कुमार पुत्र डॉ. दलीचन्द उम्र 37 वर्ष जाति मेघवाल, निवासी रामदेव कॉलोनी जालोर हाल नर्सिंग ऑफिसर जिला चिकित्सालय जालोर मोबाईल नं. होना बताया। तत्पश्चात समय 06.15 पी.एम. पर मन् एएसपी ने उपस्थित परिवादी श्री वागाराम का परिचय उपस्थित गवाहान सर्व श्री जितेन्द्र भाटी एवं श्री यशवंतकुमार का परस्पर परिचय करवाया गया तथा परिवादी वागाराम द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट को दोनो गवाहानो को पढ़कर सुनाया तथा रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री वागाराम तथा संदिग्ध श्रीमती ललिता पटवारी पटवार हल्का दांतीवास की रिकॉर्ड सुदा वार्तालाप जो डीवीआर में इन्टॉलसुदा मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है। उक्त डीवीआर में रिकॉर्ड वार्तालाप के मुख्यअंश को दोनो गवाहान को सुनाये गये दोनो गवाहन ने परिवादी को उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा मांग सत्यापन वार्ता के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जाकर तसल्ली की गई। दोनो गवाहान को प्रकरण में स्वतंत्र गवाहान बनने की सहमति चाही जाने पर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी सहमति दी। तत्पश्चात समय:- 07.15 पी.एम.पर मन् एएसपी ने दोनो गवाहान सर्व श्री जितेन्द्र भाटी एवं यशवंतकुमार तथा परिवादी श्री वागाराम की उपस्थिती में रिश्वती राशि मांग सत्यापन दिनांक 12.06.2026 को रिकॉर्डसुदा वार्तालाप को सुन- सुन कर तथा परिवादी को सुना-सुना कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से श्री सुरेन्द्र कानि. 232 की सहायता से कता की जाकर शामील रनिंग नोट की गई। तथा उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप की दो डब/क्लोन डीवीडी कार्यालय के कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार की जाकर एक आई.ओ. एवं एक आरोपी के लिए खुली हालात में रखी गई। तत्पश्चात समय 08.45 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रूबरू स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री जितेन्द्र भाटी व श्री यशवंतकुमार एवं बमौजूदगी परिवादी श्री वागाराम के दिनांक 12.06.2026 को परिवादी श्री वागाराम व संदिग्ध आरोपीया श्रीमती ललिता पटवारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप को कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे एक ही मैमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाई गई है। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर मैमोरीकार्ड सहित कम्प्यूटर से कनेक्ट है जिसमें रिकार्डर रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता की कम्प्यूटर के माध्यम से हैश वैल्यू निकाली गई जो निम्न है:-

bf16f4b088bccc4b90563591844d8e466369f641db77f698345d68b96fa3dadadb, File

Name250612_1412.mp3 तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप की हैश वैल्यू निकाली गई जो तत्पश्चात उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर मैमोरी कार्ड सहित कम्प्यूटर से डिसकनेक्ट कर उसमें लगे मैमोरी कार्ड को रूबरू स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के डिजीटल वॉयस रिकार्डर से सुरक्षित निकालकर अवलोकन किया तो उक्त मैमोरी कार्ड पर RAJ-M6 JUN-26 8 GB लिखा हुआ पाया गया, उक्त मैमोरी कार्ड को एक प्लास्टिक के छोटे कवर में रखकर एक सफेद रंग के लिफाफे में डालकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर किया गया। थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर मार्क M अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर तहवील एसीबी लिया गया तथा फर्द जब्ती मूल मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 09.45 पी.एम.पर मन् एएसपी को गवाहान सर्व श्री जितेन्द्र भाटी तथा यशवंतकुमार की उपस्थिती में परिवादी श्री वागाराम ने बताया कि उसके दादाजी श्री धुकाराम के देहान्त होने पर मेरे दादीजी, मेरे पिताजी एवं मेरे चार चाचा तथा मेरे तीन बुआओ के नाम फौत म्यूटेशन / हकतर्क नामा म्यूटेशन आज दिनांक 19.06.2026 को ग्रामीण सेवा शिविर कैम्प के दौरान उपस्थित संदिग्ध श्रीमती ललिता पटवारी पटवार हल्का दांतीवास तहसील भीनमाल जिला जालोर द्वारा भरा जाकर ग्राम पंचायत स्तर पर शेष होना बताया परिवादी ने बताया कि आरोपी संदिग्ध श्रीमती ललिता पटवारी को ट्रैप कार्यवाही की भनक लगने से अब रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10000/- रुपये प्राप्त नहीं करेगी। उक्त कार्यवाही की भनक किस स्तर पर आरोपी संदिग्ध श्रीमती ललिता पटवारी को लगी इस बाबत मुझे कोई जानकारी नहीं है। परिवादी श्री वागाराम एवं स्वतंत्र

गवाहान को अपने- अपने निवास स्थान पर जाने हेतु रूकसत किया जाता है। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि आरोपिया श्रीमती ललिता विश्वोई पटवारी पटवार हल्का दांतीवास तहसील भीनमाल जिला जालोर द्वारा परिवादी श्री वागाराम पुत्र श्री सांवलाराम जाति भील उम्र 31 साल निवासी दांतीवास तहसील भीनमाल जिला जालोर से उसके दादा जी की मृत्यु के पश्चात उसके पिताजी व अन्य परिजनो के नाम से फोटोगी म्यूटेशन व भुआ के हक तर्कनामा का म्यूटेशन भरने की एवज में 10,000 रुपये रिश्तत की मांग करना पाया जाने पर आरोपीया श्रीमति ललिता विश्वोई पटवारी पटवार हल्का दांतीवास के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीया श्रीमति ललिता विश्वोई पुत्री श्री जैताराम जाति विश्वोई उम्र 42 साल निवासी स्थाई पता मु.पो. सरनाउ वाया रानीवाडा तहसील सांचौर जिला जालोर वर्तमान पता ग्राम डीगांव पोस्ट करडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का दांतीवास तहसील भीनमाल जिला जालोर हाल भू अभिलेख निरीक्षक एलआरसी तहसील कार्यालय भीनमाल जिला जालोर के विरुद्ध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें। भवदीय सही/-(मांगीलाल राठौड़)अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर।.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मांगीलाल राठौड़, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमति ललिता विश्वोई पुत्री श्री जैताराम जाति विश्वोई उम्र 42 साल निवासी स्थाई पता मु.पो. सरनाउ वाया रानीवाडा तहसील सांचौर जिला जालोर वर्तमान पता ग्राम डीगांव पोस्ट करडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का दांतीवास तहसील भीनमाल जिला जालोर हाल भू अभिलेख निरीक्षक एलआरसी तहसील कार्यालय भीनमाल जिला जालोर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विशाल कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 329 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1358-61 दिनांक 20.08.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2- जिला कलक्टर, जालोर 3- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोलोर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

VISHAL KUMAR

Rank

(पद):

निरीक्षक

(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.):

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1984				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)